



77



माझनीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश
पुण्यासंख्या/- R 1387 II/13

- 1/- बृजलाल कुशवाहा पुत्र सुन्ने कुशवाहा
 - 2/- सुन्नी कुशवाहा पुत्र सुन्ने कुशवाहा
 - 3/- भगवानदास कुशवाहा पुत्र सुषे बृजलाल कुशवाहा
 - 4/- जगू कुशवाहा पुत्र सुन्नी कुशवाहा
 - 5/- कन्ह कुशवाहा पुत्र सुन्नी कुशवाहा
 - 6/- महिला गोरबाई वेवा सुन्ने कुशवाहा
- निवासीयान क्यंनपुरा सतगुवा तहसील लिधौरा जिला
टीकमगढ म०प्र० पुनरीक्षणकर्तागण

श्री. चमर चतुर्था श्री.
दारा आज दि ०८/५/१३
पुनरुत्त
४५१३
पुनरीक्षण कार्यालय
ग्वालियर मण्डल म.प्र. - लिधौरा

- बनाम
- 1/- महिला पूजा कुशवाहा पत्नि लक्ष्मण कुशवाहा
 - 2/- महिला सोमवती कुशवाहा पत्नि परमानंद कुशवाहा
 - 3/- मुळूच पुत्र चईयां प्रशाहा
- निवासीयान क्यंनपुरा सतगुवा तहसील लिधौरा जिला
टीकमगढ म०प्र० अनावेदकगण

Delhatwadi
08/5/13

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० मू० ए० २०० सं०
प्रतिकूल निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार लिधौरा जिला
टीकमगढ म०प्र० दिनांक 19-2-2013 जो कि प्रकरण क्रमांक 4/अ-70/
012-013 मे पारित किया गया ।

3

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 1387-दो/2013

जिला - टीकमगढ़

बृजलाल आदि

विरुद्ध

महिला फूला कुशवाहा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों हस्ताक्षर
05-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार लिधौरा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 4/अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-2-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 02-5-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;"> (आरुण के0 जैन) सदस्य 05/3/19</p>